न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 09/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड़ (वर्तमान में तहसीलदार, देलदर)

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) अंगूरी पुत्री लीबा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तह. देलदर, जिला–सिरोही
(2) पूनी पुत्री लीबा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(3) फौजिया पुत्र नरसा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तह. देलदर, जिला–सिरोही
(4) बाबीया पुत्र रेशमा, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(5) मीना पुत्र नरसा, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(6) लसमा पुत्र लीबा, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(7) लाडू पुत्र लीबा, जाति– भील, निवासी– दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(8) सरमो पुत्री लीबा, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(9) हिन्दुरा पुत्र नरसा, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा, अप्रार्थीगण की ओर से

—: निर्णय :— **दिनांक 04 सितम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान खतौनी जमाबंदी में अंकित निम्न कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है को राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज कराने एवं विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैः—

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम दोयतरा, पटवार हल्का दोयतरा तहसील–देलदर, जिला–सिरोही	2076	118	1006	0.1138	ब. 2
			1007	0.0506	ब 2
			1514	0.1138	ब 2

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिबंधित है। उक्त भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि मिसल बंदोबस्त में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी जिसका विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:25 IST
Reason: SelfAttested

कि "All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal." अतः प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बहस के लिखित तर्क प्रस्तुत किये। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है, जिसका आवंटन/नियमन तथा किसी भी रुप में संपरिवर्तन किया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, नदी, नाला, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। प्रश्नगत भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी **महकमा बंदोबस्त संवत 2004** में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 के द्वारा जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की राजस्व रेकर्ड में दिनांक 15.8.1947 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिवलि रिट याचिका संख्याः 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.5.2012 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का किया गया आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में दर्ज पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के जवाब व लिखित तर्क में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बहस के लिखित तर्क में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण भील जाती के आदिवासी व्यक्ति है, जिन्हें किसी को 0.09 बीघा, किसी को 0.04 बीघा भूमि भू प्रबन्ध के समय से करीब 50 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकारी देने पर अप्रार्थीगण स्वयं के भरण पोषण के लिए चना, मक्की ईत्यादि फसल प्राप्त कर अपने स्वयं व परिवार का भरण पोषण करते है। 50 वर्ष से पूर्व इस भूमि पर अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज खेती करते आए है, यह स्वयं प्रार्थी तहसीलदार स्वीकार करते है। प्रार्थी तहसीलदार ने रेफरेन्स में बताया कि संवत 2004 में यानी आज से करीब 76 वर्ष पूर्व नाला होना बताया है एवं इसके पश्चात् उक्त भूमि समतल हो जाने के कारण राजस्थान सरकार के नाम बारानी दोयम दर्ज हो गई थी, क्योंकि मौके पर कोई नाला था ही नही। इसी कारण संवत 2029 में आज से 50 वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण काबिज होने के कारण भू प्रबन्ध के समय खातेदारी अधिकार दिये गये थे एवं तभी से वे खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी तहसीलदार ने रेफरेन्स में यह दाद चाही है कि उक्त भूमि की किस्म नाला दर्ज करवाई जावे, ... खातेदारी अधिकार मिलने पर वे

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:25 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही

खातेदार कृषक है एवं खातेदार कृषक को रेकर्ड से मौके से रेफरेन्स के जरिये नही हटाया जा सकता है। खातेदारी अधिकार को निरस्त करने के लिये अलग से कानून व प्रक्रिया अपनाई जाकर ही कोई कार्यवाही की जा सकती है, न कि रेफरेन्स से। यह कि रेफरेन्स स्वीकार करने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। यह कि आज से 76 वर्ष पूर्व भूमि के किस्म नाला की जगह कृषि योग्य होने से किस्म दीगर पीवल की गई थी जिसे 76 वर्ष यानी संवत् 2004 में कर दी गई थी। इस किस्म को बदलने के लिये अत्यधिक देरी हुई है और 76 वर्ष की देरी से भूमि की किस्म नही बदली जा सकती है। ऐसा निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णित किया है, जिसमें 35 वर्ष व 20 वर्ष देरी से रेफरेन्स प्रस्तुत किया था, जिसे अति विलम्ब मानकर रेफरेन्स को निरस्त किया गया था, इस सन्दर्भ में लिखित तर्क में विधिक दृष्टान्त 2005(2)DNJ(Raj.)843 सोमती देवी बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य तथा 1982 RRD 298 स्टेट बनाम मोती व लाडू का उल्लेख किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में यह भी अंकित किया है कि इसी प्रकार राजस्व मण्ड़ल ने भी 44 वर्ष पश्चात् रेफरेन्स को अति विलम्ब मानकर निरस्त किया, क्योंकि जिन्हें जमीन आवंटन हो गई थी वे व उनके वारिसदार लगातार काबिज होने से रेफरेन्स खारिज किया है, इस सन्दर्भ में बहस के लिखित तर्क में विधिक दृष्टान्त 2019(1)DNJ(Raj.) 265 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, जयपुर बनाम गुलाब बलाई व अन्य का उल्लेख किया गया है। अप्रार्थीगण के बहस के लिखित तर्क में यह भी अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि कलेक्टर के पास अन्तिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नही है, उन्हें आवश्यक आदेश पारित करने के लिये मामलें को अपनी राय के साथ मण्ड़ल के पास भेजना चाहिये, इस सन्दर्भ में बहस के लिखित तर्क में विधिक दृष्टान्त 1994 RRD (Raj.) 13 धुलिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व 1994 RRD 193 नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया गया है कि प्रस्तुत मामलें में भी 50 वर्ष पूर्व संवत 2029 में खातेदारी अधिकर दिये जाकर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण आदिवासी मजदूरी पेशा के व्यक्ति है, जिनका व उनके बच्चों का भरण पोषण सरकार द्वारा आज से 50 वर्ष पूर्व दी गई उक्त भूमि से ही होता है। यदि किस्म बदल दी गई तो उन्हें बहु विवाद व लिटिगेशन में उलझना पड़ेगा। रेफरेन्स में प्रार्थी तहसीलदार ने यह कहीं भी दर्ज नही किया है एवं न ही नाला होना बताया है। आज से करीब 76 वर्ष पूर्व नाला होना मानकर रेफरेन्स प्रस्तुत कियां है, जो गलत किया है। प्रार्थी तहसीलदार को कानूनन रेफरेन्स करने का कोई अधिकार ही न ही एवं न ही रेफरेन्स सुनने का इस न्यायालय को अधिकार है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के मौके पर कोई नाला नही है एवं पूर्व में भी मौके पर कोई नाला नही रहा है व नही था। मौके पर भूमि समतल होकर काश्त योग्य रही है, केवल संवत 2004 से पूर्व रेकर्ड में नाला दर्ज होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों को इस रेफरेन्स के जरिये निरस्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने उक्त खातेदारी भूमि में काफी रकम खर्च कर उपजाउ बनाया है व उक्त भूमि अप्रार्थीगण के आजिविका का सहारा है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के लिखित तर्को के साथ माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्ड़ल के उक्त विधिक दृष्टान्तों की छाया प्रति भी प्रस्तुत की है।

(4) बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी पक्ष की लिखित बहस व विधिक दृष्टान्तों तथा पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:25 IST
Reason: SelfAttested

रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैः–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम दोयतरा, पटवार हल्का दोयतरा तहसील–देलदर	2076	118	1006	0.1138	ब. 2
			1007	0.0506	ब 2
			1514	0.1138	ब 2

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2004 में प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला दर्ज थी, जो भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है किः–

"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly.

----In the Government Owend Lakes and other water bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought under the ownership of the government.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.5.2012 में भी जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की पुर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नही हो सकता है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत नही होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही, उभय पक्षकारान को यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक प्रश्नगत भूमि के भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही होने दे एवं न ही करे।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति ग्राम दोयतरा, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही के खसरा संख्या 1006 रकबा 0.1138 हेक्टेयर किस्म ब. 2, खसरा संख्या 1007 रकबा 0.0506 हेक्टेयर किस्म ब. 2 व खसरा संख्या 1514 रकबा 0.1138 हेक्टेयर किस्म ब. 2 के स्थान पर भू अभिलेख में खातेदार दर्ज अप्रार्थीगण की प्रविष्ठियां

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही

विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2004 के अनुरुप राजकीय बिलानाम किस्म नाला दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा सहित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली निर्णय की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित प्रेषित की जावे। उभय पक्षकारान प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे तथा न ही रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करे। साथ ही, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, देलदर को प्रश्नगत आराजी वर्तमान भू अभिलेख में रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगामी आदेश तक नोट अंकित करने हेतु प्रेषित की जावे।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 14.11.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:25 IST
Reason: SelfAttested